रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022024-251984
CG-DL-E-10022024-251984

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2024/माघ 20, 1945
No. 31] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2024/MAGHA 20, 1945

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2024

अपैरल/गारमेंट्स और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों की छूट योजना (आरओएससीटीएल)

फ़ा. सं. 12014/01/2023-टीटीपी.—इन क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए गारमेंटस और मेड-अप्स के निर्यात पर सभी अंतर्निहित राज्य एवं केंद्रीय करों और लेवियों की छूट देने के भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में, वस्त्र मंत्रालय द्वारा दिनांक 08.02.2024 की अधिसूचना संख्या 12015/11/2020-टीटीपी के माध्यम से राज्य एवं केंद्रीय करों और लेवियों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना को दिनांक 31 मार्च, 2026 तक जारी रखा गया है।

2. आरओएससीटीएल योजना की दरें दिनांक 8.3.2019 की अधिसूचना संख्या14/26/2016-आईटी (खंड II) के माध्यम से अधिसूचित की गईं और दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना के अनुसार फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स (एफआईबीसी) की दर 'शून्य' थी।

3. आरओडीटीईपी समिति की सिफारिश के अनुसार ,एफआईबीसी की संशोधित दर निम्न प्रकार है:

अध्याय - 63				
अन्य मेड अप वस्त्र मदें; सेट्स;				
वॉर्न क्लोदिंग और वॉर्न टेक्सटाइल आर्टीकिल्स;रैग्स				
टैरिफ मद (एचएस कोड)	माल का विवरण	इकाई	दरें (% में)	प्रति यूनिट अधिकतम रु.
1	2	3	4	5
6305 3200	फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर (एफआईबीसी)	किलोग्राम	2.3	3.7 रुपये प्रति किलो

4. वस्त्र मंत्रालय आरओडीटीईपी समिति की सिफारिश को स्वीकार करता है और आरओएससीटीएल के तहत एफआईबीसी की दर में परिवर्तन को 'शून्य' से 2.3% तक अधिसूचित करता है, जो 3.7 रुपये प्रति किलोग्राम की सीमा के अध्यधीन है और राजपत्र में इस अधिसूचना की तारीख से लागू होगी। यह योजना राजस्व विभाग (डीओआर) द्वारा हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी करने के लिए शुरू से अंत तक डिजिटलीकरण के साथ कार्यान्वित की जाएगी और तदनुसार राजस्व विभाग(डीओआर) एफआईबीसी के निर्यात के सापेक्ष आरओएससीटीएल के तहत स्क्रिप जारी करने में सक्षम बनाने के लिए प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करेगा ।

शुभ्रा, व्यापार सलाहकार

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2024

Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies on Export of Apparel/Garments and Made-ups (RoSCTL)

F. No. 12014/01/2023-TTP.—In pursuance of the decision of the Government of India to rebate all embedded State and Central Taxes and Levies on export of garments and made-ups to enhance competitiveness of these sectors, the Ministry of Textiles has notified continuation of Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) upto 31st March 2026 vide notification No. 12015/11/2020-TTP dated 08.02.2024.

2. The rates of RoSCTL Scheme were notified vide notification no. 14/26/2016-IT (Vol.II) dated 8.3.2019 and the rate of Flexible Intermediate Bulk Containers (FIBC) as per notification dated 08.03.2019 was 'NIL'.

3. As per recommendation of RoDTEP Committee, the revised rate of FIBC is as under:

CHAPTER – 63				
OTHER MADE UP TEXTILES ARTICLES; SETS;				
WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS				
Tariff Item (HS Code)	Description of goods	Unit	Rates (in %)	Cap per unit in Rs.
1	2	3	4	5
6305 3200	Flexible Intermediate Bulk Containers (FIBC)	Kg	2.3	Rs.3.7 per kg

4. Ministry of Textiles accepts the recommendation of RoDTEP Committee and notify the change in rate of FIBC under RoSCTL from 'NIL' to 2.3% subject to a cap of Rs 3.7 per Kg, applicable from the date of this Gazette Notification. The scheme shall be implemented by Department of Revenue (DoR) with end to end digitization for issuance of transferable Duty Credit Scrip and accordingly DoR shall make necessary changes in the system to enable issue of scrips under RoSCTL against export of FIBC.

SHUBHRA, Trade Advisor

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.02.10 10:40:47 +05'30'